न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजीव बडगूजर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 42 / 2022 दायर दिनांक 07.03.2024

उनवान

1. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. श्यामलाल पिता भेरा जाति ब्राहम्ण निवासी विरोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

—प्रार्थीगण।

बनाम

1. राजनारायण पिता हजारी लाल जाट निवासी कुथना तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)।

—अप्रार्थी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल0आर0एक्ट0 :—

निर्णय दिनांकः 27.08.2024

—:निर्णयः—

प्रार्थी श्यामलाल पिता भेरा ब्राहम्ण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया ग्राम विरोली की जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी खाता संख्या 119 आराजी नं0 364 रकबा 0.29 हैक्ट0 में श्यामलाल, रामू, भगवानलाल, प्रेमा पिता भेरा ब्राहम्ण के नाम से दर्ज रेकार्ड है एवं आराजी नम्बर 988 / 364 रकबा 0.29 हैक्ट0 भूमि वर्तमान में राजनारायण पुत्र हजारीलाल जाट साकिन कुथना के नाम दर्ज रेकार्ड है। जो कि गलत है। हमारे खाते का विभाजन आदेश क्रमांक 03 / 2006 दिनांक 27.04.2006 में विभाजन हुआ था जिसमें आराजी नम्बर 364 रकबा 0.66 हैक्ट0 भूमि श्यामू, रामू, भगवानलाल, प्रेमा पिता भेरा ब्राहम्ण के नाम पर, आराजी नम्बर 364 मीन रकबा 0.29 हैक्ट0 हमारे हिस्से में दर्ज रेकार्ड हुई थी। जिसकी तरमीम उत्तर से दक्षिण हुई थी परन्तु सेग्रीगेशन के समय के आराजी नम्बर 364 रकबा 0.29 हैक्ट0 भूमि की तरमीम पूर्व से पश्चिम हो गई है जो गलत है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आराजी नम्बर 364 रकबा 0.29 हैक्ट0 में भूमि की तरमीम पूर्व से पश्चिम के बजाय उत्तर से दक्षिण करवाने की कृपा करावे।

उक्त प्रार्थना पत्र जांच हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक / राजस्व / 2024 / 06 दिनांक 04.01.2024 से तहसीलदार कपासन को प्रेषित किया गया। तहसीलदार कपासन द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक 188 दिनांक 06.02.2024 से प्रेषित की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी खातेदार राजनारायण पिता हजारी लाल जाट निवासी कुथना को जरिये सम्मन तलब किया। दिनांक 12.06.2024 को अप्रार्थी राजनारायण व प्रार्थीगण हाजिर। प्रार्थी ने हाजिर होकर संशोधन रिपोर्ट आराजी संख्या 364 व 365 मंगवाये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो स्वीकार किया जाकर संशोधित सुस्पष्ट रिपोर्ट हेतु तहसीलदार कपासन से पुनः रिपोर्ट मंगवायी गयी। तहसीलदार कपासन द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 718 दिनांक 26.07.2024 से पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जो निम्नप्रकार है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:40:32 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि ग्राम विरोली की आराजी संख्या 364 के सहमति विभाजन दिनांक 27.04.2006 से 4 भाग हुए। आराजी संख्या 364 के पश्चिमी दिशा में मीन नम्बर दिया गया उसी आराजी में पूर्व दिशा

की और 364/1 वर्तमान आराजी नम्बर 988/364 एवं उक्त आराजी के दक्षिण में 364/3 वर्तमान आराजी संख्या 988/364 किस्म रास्ता एवं 364/2 वर्तमान आराजी संख्या 984/364

2. वक्त सेग्रीगेशन नक्शे में आराजी संख्या 364 मीन के दक्षिणी दिशा में आराजी संख्या 988/364 नम्बर दिया है एवं आराजी संख्या 364 मीन के उत्तरी दिशा में 998/364 किस्म रास्ता दर्शाया गया है। एवं आराजी संख्या 364 मीन के पूर्व में आराजी संख्या 984/364 को आराजी संख्या 365 में शामिल कर लिया गया है तथा आराजी संख्या 984/364 को आराजी संख्या 365 के दक्षिण में दर्शाया गया है।

3. अतः पूर्व विभाजन नक्शे अनुसार आराजी संख्या 364 के भाग 364 मीन की पश्चिम दिशा की तरफ तरमीम उत्तर से दक्षिण एवं आराजी संख्या 988/364 को आराजी संख्या 364 मी0 के पूर्व दिशा की ओर किया जाना उचित है आराजी संख्या 364 मी0 के उत्तर दिशा की ओर आराजी संख्या 998/364 की तरमीम 988/364 के दक्षिण दिशा की ओर की जानी उचित होगी तथा आराजी संख्या 984/364 की तरमीम 988/364 के दक्षिण में की जानी उचित होगी।

4. वर्तमान सेग्रीगेशन नक्शे में आराजी संख्या 998/364 को गलत अंकित किया है जिससे विभाजन नक्शा अनुसार पुनः आराजी संख्या 365 के दक्षिण भाग में किया जाना है। उक्त नम्बर को नवीन नक्शे में सही स्थान पर दर्ज करने से सेग्रीगेशन नक्शे में अंकित आराजी नम्बर 365 की आकृति में बदलाव होगा किन्तु आराजी के रकबा प्रभावित नहीं होगा एवं जमाबन्दी अनुसार ही रहेगा।

5. वर्तमान सेग्रीगेशन नक्शे में आराजी संख्या 988/364 को गलत जगह अंकित कर देने से सेग्रीगेशन पूर्व नक्शे अनुसार आराजी संख्या 365 के पश्चिमी दिशा में अंकित किया जाकर आराजी संख्या 365 के सही जगह तरमीम करने से आराजी संख्या 365 का रकबा जमाबन्दी अनुसार ही रहेगा किन्तु 365 की आकृति पूर्व नक्शा अनुसार दर्ज हो जाएगी।

6. वर्तमान सेग्रीगेशन नक्शे में आराजी संख्या 984/364 की तरमीम यथावत रहेगी।

अप्रार्थी राजनारायण हाजिर नही। हाजिर नही आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस प्रार्थना पत्र एकतरफा सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। पेरोकार सरकार तहसीलदार कपासन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार कपासन के सहमति विभाजन आदेश दिनांक 27.04.2006 से आराजी संख्या 364 के चार भाग हुए। आराजी संख्या 364 के पश्चिमी दिशा में मीन नम्बर दिया गया। उसी आराजी के पूर्व की ओर आराजी संख्या 364/1 (वर्तमान आ0नं0 988/364) एवं उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में 364/3 (वर्तमान आ0नं0 998/364) किस्म रास्ता एवं 364/2 (वर्तमान आ0नं0 984/364) दिये गये। वक्त सेग्रीगेशन नक्शे में आराजी संख्या 364 मीन के दक्षिण दिशा में 988/364 नम्बर दिया गया व उत्तरी दिशा में 998/364 किस्म रास्ता दर्शाया गया। व पूर्व में 984/364 को आराजी संख्या 365 के दक्षिण में दर्शाया गया है, जो कि सहमति विभाजन के अनुसार न होकर के अशुद्ध हो गयी है। अतः तहसीलदार कपासन की दिनांक 26.07.2024 की अनुशंषा को स्वीकार किया जाकर आराजी संख्या 364 के भाग 364 मीन, 364/1 (वर्तमान आ0नं0 988/364), 364/3 (वर्तमान आ0नं0 998/364), 364/2 (वर्तमान आ0नं0 984/364) व 365 के राजस्व नक्शें की त्रुटि को सहमति विभाजन दिनांक 27.04.2006 के मुताबिक राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:40:32 IST
Reason: SelfAttested

(राजीव बडगूजर)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official